



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 170 राँची, मंगलवार,

15 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

10 फरवरी, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-180/2017 का०-726--श्री पप्पु रजक, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी, गिरिडीह के विरुद्ध डॉ० रविन्द्र कुमार राय, माननीय पूर्व सांसद द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया है ।

उक्त परिवाद पत्र में श्री रजक के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि क्षेत्रीय भ्रमण में जन सुनवाई के दौरान गिरिडीह के कुछ लोगों द्वारा शिकायत किया गया कि एक व्यक्ति द्वारा दबंगताई से उन लोगों का जमीन कब्जा किया गया है, जिसके बाद माननीय सांसद महोदय द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु बी०डी०ओ०, बिरनी को पत्र भेजते हुए निष्पक्ष जाँच करने को कहा गया। बी०डी०ओ०, बिरनी द्वारा सांसद महोदय के हस्ताक्षर से अग्रसारित जनता के प्रार्थना पत्र वापस करते हुए कहा गया कि ऐसे सांसद के पत्र मेरे पास बहुत आते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, जो संसदीय विशेषाधिकार उल्लंघन एवं संवेदनशीलता के श्रेणी में आता है ।

उक्त आरोपों के प्रसंग में श्री रजक के पत्रांक-1650, दिनांक 13.08.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का माननीय सांसद महोदय या आवेदनकर्ता को आना-कानी या असंसदीय भाषा तथा आवेदन को महत्व नहीं दिया जाना सत्य से परे है। उन्होंने स्वयं माननीय सांसद महोदय से दूरभाष पर वार्ता कर स्थिति से अवगत भी करा चुके हैं अतः लगाये गये आरोप से मुक्त करते हुए स्पष्टीकरण को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

श्री रजक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1395, दिनांक 20.02.2018 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से मंतव्य की माँग की गयी है।

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1529/गो०, दिनांक 08.05.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। मंतव्य में अंकित किया गया है कि श्री पप्पु रजक, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिरनी द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक-1650, दिनांक 13.08.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में लगाये गये आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही स्पष्टीकरण के साथ डॉ० रवीन्द्र कुमार राय, माननीय पूर्व सांसद का पत्र संलग्न है, जिसमें “उनके कृत स्पष्टीकरण एवं कार्य के बाद मैं संतुष्ट हूँ। अतः मेरा आग्रह होगा की अग्रेतर कार्रवाई को समाप्त करना बेहतर होगा” अंकित है। अतः उपर्युक्त के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

श्री रजक के विरुद्ध परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत माननीय पूर्व सांसद महोदय की अनुशंसा एवं उपायुक्त, गिरिडीह के मंतव्य से सहमत होते हुए संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
